#### 1

## न्यायालयः— विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद,जिला भिण्ड म०प्र० (समक्षः पी०सी०आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण<u>कमांकः 21 / 2015</u> संस्थित दिनांक—07.07.2008 फाईलिंग नंबर—230303001572008

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा— आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा, जिला—भिण्ड (म०प्र०)

---अभियोजन

### वि रू द्ध

- 1. रणधीर उर्फ लादेन पुत्र गोपाल सिंह उम्र 31 साल निवासी बूटीकुईया
- भूरा उर्फ वीरेन्द्र पुत्र जबरसिंह गुर्जर उम्र 41 साल निवासी आलौरी थाना गोहद

.....उपस्थित आरोपीगण

 अंग्रेजिसंह पुत्र कश्मीरिसंह सिख निवासी बूटीकुईया

....(फोत)

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक आरोपी रणधीर उर्फ लादेन द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता । आरोपी भूरा उर्फ वीरेन्द्र द्वारा श्री भगवती प्रसाद राजौरिया अधिवक्ता।

## -::- <u>निर्णय</u> -::-(आज दिनांक **28 सितंबर 2015** को खुले न्यायालय में घोषित)

- 1. अभियुक्तगण रणधीर उर्फ लादेन एवं भूरा उर्फ वीरेन्द्र गुर्जर के विरूद्ध धारा 394 सहपिटत धारा—398 भा0द0वि0 सहपिटत एवं धारा—13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 30.07.2007 को दिन के लगभग दस बजे थाना गोहद चौराहा के क्षेत्रान्तर्गत ग्वालियर मार्ग बूटीकुईया के समीप लोक मार्ग पर उन्होंने अन्य सह अभियुक्तगण के साथ संयुक्त रूप से फरियादी निर्झरसिंह परिहार से मोटरसाईकिल क्रमांक—यू0पी0—75एच—6247 कीमती 45,000/—रूपये की लूट की और उस समय वह प्राण घातक आयुध कट्टा से सज्जित रहे तथा लूट के अनुक्रम में उन्होंने उपहितकारित की।
- 2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि विचारण के दौरान प्रकरण के आरोपी अंग्रेजिसंह पुत्र कश्मीरिसंह की मृत्यु होने से उसके विरूद्ध समस्त अग्रिम कार्यवाही समाप्त की जा चुकी है। अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि फिरयादी निर्झरिसंह पिरहार एन0आई0आई0टी0 सेन्टर ग्वालियर में सॉफ्टवेयर इन्जीनियरिंग का छात्र है। दिनांक 30.07.07 को वह अपने गांव बिरारी जिला इटावा से ग्वालियर अपनी मोटरसाईकिल यामाहा स्प्लेण्डर कमांक—यू0पी0—75/एच—6247 इंजिन नंबर—005522 एवं चैसिस नंबर—005522 से जा

रहा था। कि करीब दस सवा दस बजे जैसे ही उसने बूटीकुईया गांव पार किया तब पीछे से एक काली बजाज बॉक्सर मोटरसाईकिल जिस पर सिर्फ एम0पी0—30 लिखा था, पर तीन अज्ञात लड़के उसके बगल से आये। उनमें से एक ने उसके सिर पर कोई भारी चीज मारी जिससे उसका हैल्मेट टूट गया। फिर उस लड़के ने उसके हाथ का झटका तो संतुलन बिगड़ने के कारण वह रूक गया। तब एक लड़के ने उसे घूंसा मारा तो उसने भी उसे घूंसा मारा। तब उसने उसकी कनपटी पर कट्टा अड़ाकर दो—तीन घूंसे मारे और बोला कि मोबाईल निकाल तो उसने कहा कि नहीं है। तब उनमें से एक ने उसकी गाड़ी छीनी और फिर वे ग्वालियर तरफ भाग गये। उसकी जेब में रखे करीब सात हजार रूपये सुरक्षित हैं। उसने गांव में किसी को नहीं बताया। तब एक द्रैक्टर की मदद से वह थाना आया है।

- 3. फरियादी की उक्त मौखिक रिपोर्ट पर से थाना गोहद चौराहा में आरोपीगण के विरूद्ध अप.क.—118/07 धारा—394 भा0द0वि0 एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। एवं विवेचना के दौरान नक्शामौका, जप्ती व आरोपीगण की गिरफ्तारी एवं साक्षियों के कथन उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में आरोपीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।
- 4. अभियोगपत्र एवं सलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 394 सहपिटत धारा—398 भा०द०वि० सहपिटत एवं धारा—13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया । धारा 313 जा० फौ० के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में रंजिशन झूटा फंसाए जाने का आधार लिया है। आरोपीगण की ओर से अपने बचाव में किसी साक्षी का कथन नहीं कराया गया है।
- 5. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :--

अ— क्या दिनांक 30.07.2007 को घटनास्थल डकैती प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता था?

ब— क्या आरोपीगण ने दिनांक 30.07.2007 को दिन के लगभग दस बजे थाना गोहद चौराहा के क्षेत्रान्तर्गत ग्वालियर मार्ग बूटीकुईया के समीप लोक मार्ग पर उन्होंने अन्य सह अभियुक्तगण के साथ संयुक्त रूप से फरियादी निर्झरसिंह परिहार से मोटरसाईकिल क्मांक—यू0पी0—75एच—6247 कीमती 45,000 / —रूपये की लूट की और उस समय वह प्राण घातक आयुध कट्टा से सज्जित रहे तथा लूट के अनुक्म में उन्होंने उपहतिकारित की?

# <u>—::-निष्कर्ष के आधार</u> :-

## विचारणीय प्रश्न कमांक— अ एवं ब का निराकरण

- 6. उपरोक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से एकसाथ किया जा रहा है।
- 7. अभियोजन की ओर से प्रकरण में निर्झरसिंह परिहार (अ०सा0—1), राधाचरण (अ०सा0—2), दीपू अग्रवाल (अ०सा0—3), हरनाथसिंह (अ०सा0—4) केशवसिंह (अ०सा0—5), जगदीशसिंह (अ०सा0—6), बृजेशसिंह (अ०सा0—7), एवं आशीष पंवार (अ०सा0—8) की

साक्ष्य कराई है । आरोपीगण की ओर से अपने बचाव में किसी भी साक्षी की साक्ष्य नहीं करायी गयी है तथा अभियोजन की ओर से प्रदर्श पी0—1 लगायत—प्रदर्श पी0—9 के दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये हैं ।

नोट:— प्रकरण में आरोपी रणधीर को कहीं कहीं रणवीर भी लिखा गया है अतः उसे निर्णय में रणधीर ही लिखा जा रहा है।

- परीक्षित साक्षियों में से घटना के सर्वाधिक महत्व के साक्षी फरियादी निर्झरसिंह अ0सा0–1 जो कि प्रकरण का फरियादी भी है, उसका आरोपी अंग्रेज की पहचान के बिन्दू पर दिनांक 16.10.12 को कथन स्थगित किया गया था फिर दिनांक 28.10.13 को पूनः परीक्षण हुआ। जिसमें आरोपी अंग्रेज व भूरा को पहचानने से इन्कार करते हुए घटना के संबंध में यह बताया है कि करीब पांच साल पहले वह इटावा से ग्वालियर अपनी मोटरसाईकिल यामाहा ग्लेडियेटर क्रमांक-यू0पी0-75 एच-6247 से जा रहा था और जब वह गोहद चौराहा पर पहुंचा तो वहाँ पर थोडी देर विश्राम करने के बाद वह करीब 09.30 बजे चला तो तीन किमी आगे बटीकुईया के पास एक मोटरसाइकिल पर तीन अज्ञात लोगों ने आकर उसे पकड़ लिया व उसकी हैल्मेट पर पिस्टल की बट से हमला किया जिससे उसका हैल्मेट चकनाचूर हो गया और उसके सिर में चोटें आईं। जब उसने मुंडकर देखा तो तीन अज्ञात युवक बाईक पर थे ं और हाथ में पिस्टल लिये थे। तब घबडाकर उसने बाईक को रोक लिया। तब तीनों व्यक्तियों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। तथा उसकी कनपटी पर पिस्टल लगा दी। उनका एक साथ रणवीर उर्फ लादेन उसकी बाईक को लेकर भाग गया था। शेष दो व्यक्ति जो बचे थे उन्होंने उसकी तलाशी ली थी। उस समय उसके पास कोई मोबाईल नहीं था फिर वह दोनों भी उसे धक्का मारकर भाग गये थे। मौके पर करीब दस मिनट तक रूकने के बाद एक द्रैक्टर की सहायता से वह थाना गोहद चौराहा पर पहुंचा था और अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी जो प्र0पी0–4 है जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस मौके पर उसे लेकर गई थी और नक्शामौका प्र0पी0–5 बनाया था। तथा उसका कथन भी लिया था।
- 9. उक्त साक्षी ने अपने अभिसाक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि वह ग्रेजुएट है। और उसने रिपोर्ट अज्ञात में लिखाई थी। लादेन उर्फ रणधीर का नाम नहीं लिखाया था। यह भी स्वीकार किया है कि प्र0पी0—4 की एफआईआर में किसी की शक्ल, सूरत व हुलिया भी उसने नहीं लिखाया था। तथा घटनास्थल के आसपास खेतों व बने मकानों वालों के नाम नहीं बताये थे। उसका बयान पुलिस ने थाने पर सुबह करीब 11.00 बजे लिया था। उसका यह भी कहना है कि लादेन मोटरसाईकिल पर बीच में बैठा था और मोटरसाईकिल नहीं चला रहाथा। स्वतः में वह यह भी कहता है कि उसने उसे पिस्टल से प्रहार किया था। जो व्यक्ति मोटरसाईकिल चला रहा था वह चेहरा ढंके हुए था। पुलिस कथन में भी उसने आरोपी लादेन उर्फ रणवीर का नाम नहीं बताया था न पुलिस ने आरोपी रणधीर के गिरफ्तार होने पर उसकी कोई पहचान कराई थी। यह भी स्वीकार किया है कि घटना के पहले वह आरोपी रणधीर उर्फ लादेन को नहीं जानता था और घटना के बाद भी वह उसे कभी नहीं मिला था। केवल उसने न्यायालय में ही पहली बार देखना बताया है।

- 10. आरोपी लादेन उर्फ रणधीर के अधिवक्ता ने यह तर्क किया है कि आरोपी लादेन उर्फ रणधीर का न तो एफआईआर में नाम है, न ही पुलिस कथन में नाम आया है, और न ही फरियादी उसे पहले से जानता था तथा उसने केवल न्यायालय में ही देखा है। यदि वास्तव में बताई गई घटना में उक्त आरोपी शामिल हुआ होता और रिपोर्ट के समय या बयान देते समय फरियादी उसे नाम से जानता होता तो एफआईआर और पुलिस कथन में लिखा जाता इसलिये साक्षी आरोपी रणधीर उर्फ लादेन की पहचान के बिन्दु पर विश्वसनीय नहीं है और उसके कथन पर विश्वास नहीं किया जाये। जबकि विशेष लोक अभियोजक का यह तर्क हे कि आरोपी लादेन की पहचान फरियादी ने प्रथम बार हुए कथन दिनांक 16.10.12 में भी की है और दूसरी बार दिनांक 28.10.13 में भी की है। इसलिये उसकी साक्ष्य के आधार पर लूट की घटना में आरोपी लादेन उर्फ रणधीर का शामिल होना प्रमाणित होता है और उसे दण्डित किया जावे।
- 11. जहाँ तक विचाराधीन आरोपी भूरा गुर्जर का प्रश्न है, उसके संबंध में फिरियादी अ0सा0—1 ने कोई साक्ष्य नहीं दी है। वह लादेन उर्फ रणधीर की पहचान केवल न्यायालय में करता है जबिक वह घटना के पूर्व उसे नाम व शकल से नहीं जानता था। घटना के बाद उसकी पहचान हुई। केवल न्यायालय में पहचानने के आधार पर उसकी पहचान सुनिश्चित नहीं मानी जा सकती है। क्योंकि इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत महावीर विरूद्ध राज्य ए0आई0आर0 2008 एस0सी0 पेज—2313 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि शिनाख्ती परेड संपुष्टि कारक साक्ष्य होती है। यह वहाँ आवश्यक हो जाती है जहाँ आरोपी को साक्षी पहले से नहीं जानता हो। ऐसे आरोपी की गिरफ्तारी होने पर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शिनाख्ती करानी चाहिए। जबिक इस प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया है।
- अ०सा०–1 द्वारा घटना के तत्काल पश्चात बिना अनुचित विलंब के 12. प्र0पी0–4 की एफआईआर लेखबद्ध कराई गई जिसमें तीन अज्ञात लोगों के घटना कारित करना बताई गई। उनके साथ आपस में मारपीट भी बताई गई। किन्तु किसी का भी न तो ह्लिया का उल्लेख है न ही नाम का उल्लेख है न ही ऐसा कोई उल्लेख है जिससे रिपोर्ट करते समय तक फरियादी लादेन उर्फ रणधीर को पहचानता हो, न ही पहचान का कोई आधार वह लिखाना कहता है। ऐसे में न्यायालय में साक्ष्य देने के समय ही प्रथम बार आरोपी लादेन उर्फ रणधीर को देखना बताता है जिसके आधार पर पहचान संतोषजनक नहीं मानी जा सकती है। तथा जहाँ रिपोर्ट अज्ञात में थी वहाँ फरियादी से आरोपी के गिरफतार होने के पश्चात उसकी पहचान कराई जानी चाहिए थी जो नहीं कराई गई। और उसके संबंध में घटना के एफआईआर लेखक व विवेचक निरीक्षक आशीष पंवार अ0सा0–8 ने भी स्वीकार किया है। ऐसे में डॉक आइडेन्टिफिकेशन के आधार पर आरोपी लादेन उर्फ रणधीर का घटना से जोड़ा जाना विधिसम्मत नहीं है। क्योंकि उसके विरूद्ध अन्य कोई साक्ष्य भी नहीं आई है। ऐसे में अ०सा०–1 के अभिसाक्ष्य से प्र०पी०–4 की एफआईआर की पुष्टि अवश्य होती है कि उसके साथ लूट की घटना हुई थी जब वह अपने गांव इटावा से ग्वालियर मोटरसाईकिल से जा रहा था। क्योंकि वह उस समय एनआईआईटी सेन्टर ग्वालियर सॉफ्टवेयर इन्जीनियर का छात्र था। तब उसके साथ तीन अज्ञात लोगों

के द्वारा मोटरसाईकिल की लूट की घटना की गई और उसमें उसे उपहित भी पहुंचाई गई। किन्तु वह विचाराधीन आरोपीगण के द्वारा कारित की गई थी, यह उसकी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। क्योंकि अभियोजन कथानक और न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में गंभीर विषंगित है और उक्त साक्षी के द्वारा न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में घटना का विकास करते हुए आरोपी लादेन उर्फ रणधीर को पहचानने वाली बात बताई गई है।

- 13. यदि फरियादी निर्झरसिंह अ०सा०–1 के न्यायालय में दिये गये अभिसाक्ष्य के आधार पर यह माना जावे कि आरोपी रणधीर उर्फ लादेन की उसके द्वारा पहचान की गई तो फिर एफआईआर में उसका नाम आना चाहिए था। तथा उसके द्वारा न्यायालय में रणधीर उर्फ लादेन को पहचानने का भी उसने कोई आधार नहीं बताया है जबकि वह न उसे घटना के पहले से जानता था न ही घटना के बाद मिला। सीधा न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के समय ही उसके द्वारा देखा गया। ऐसे में भी अ०सा०–1 का अभिसाक्ष्य भरोसे योग्य नहीं रह जाता है।
- 🎤 जहाँ तक आरोपी भूरा उर्फ वीरेन्द्रसिंह के संबंध में अन्य साक्ष्य का प्रश्न है, तो प्र0आर0 राधाचरण अ0सा0—2 दीपू अग्रवाल अ0सा0—3, सेवानिवृत्त एएसआई हरनाथसिंह अ0सा0–4, केशवसिंह अ0सा0–5, जगदीशसिंह अ0सा0–6 और बुजेशसिंह अ0सा0–7 के अभिसाक्ष्य में कोई तथ्य नहीं आया है। ऐसे में आरोपी भूरा उर्फ वीरेन्द्र के संबंध में अभिलेख पर कोई भी साक्ष्य नहीं आई है। इसलिये विवेचक निरीक्षक अ०सा०–८ आशीष पंवार द्वारा प्र0पी0–7 के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर मोटरसाईकिल की केवल नंबर प्लेट के संबंध में उसका प्र0पी0–9 के मुताबिक डण्डे की जप्ती के आधार पर घटना में शामिल होना नहीं माना जा सकता है और उसके विरूद्ध संपूर्ण मामला पूरी तरह से संदिग्ध है। इसलिये उसके विरूद्ध यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि दिनांक 30.07.07 के के दिन के करीब 10.00 बजे डकैती प्रभावित क्षेत्र घोषित होते हुए थाना गोहद चौराहा के अंतर्गत बूटीकुईया के समीप भिण्ड ग्वालियर लोक मार्ग पर फरियादी निर्झरसिंह के आधिपत्य की मोटरसाईकिल कमांक-यू0पी0-75एच 6247 कीमती करीब 45000 / -रूपये की लूट की गई और लूट के अनुक्रम में उसे उपहति कारित की गई। क्योंकि उपहति के संबंध में अभिलेख पर फरियादी का कोई मेडिकल प्रतिवेदन पेश नहीं है। इसलिये आरोपी भूरे उर्फ वीरेन्द्र को विरिचत आरोप धारा—394 सहपठित धारा—398 भादवि एवं धारा—13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।
- 15. जहाँ तक आरोपी लादेन उर्फ रणधीर का प्रश्न है, उसके संबंध में प्र0पी0—1 लगायत 3 के दस्तावेज महत्वपूर्ण हैं जिनके मुताबिक रणधीर उर्फ लादेन को दिनांक 25.02.07 को गिरफ्तार किया गया था। उसके पूर्व पूछताछ करके प्र0पी0—2 का ज्ञापन लिया गया और उसके आधार पर प्र0पी0—3 के द्वारा उसके आधिपत्य से एक नंबर प्लेट जिस पर यू0पी0—75 एच—6247 जिस पर सफेद काले रंग से लिखा था, जप्त होना बताया है। उसके आधार पर उसे अभियोजित किया गया है जिसके संबंध में प्र0आर0 राधाचरण अ0सा0—2 ने अपने अभिसाक्ष्य में समर्थन करते हुए प्र0पी0—1 व 2 की कार्यवाही एएसआई बी0एल0 बंसल के द्वारा करना बताया गया है और एएसआई बी0एल0 बंसल को प्रकरण में

पेश नहीं किया गया है। प्र0पी0—1 व 2 के पंच साक्षियों में से अ0सा0—2 के अलावा दूसरा साक्षी हरनाथिंसह अ0सा0—4 था जो तत्समय आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उसने भी प्र0पी0—1 व 2 की कार्यवाही उसके सामने एएसआई बी0एल0बंसल द्वारा किया जाना बताया है। दोनों ही पुलिस कर्मी थे और गिरफ्तारी थाना गोरमी से किया जाना बताया गया है। अर्थात् वह औपचारिक स्वरूप की गिरफ्तारी थी। थाना गोरमी में ही धारा—27 साक्ष्य विधान का मेमोरेण्डम कथन लेना बताया गया है। यदि अ0सा0—2 व 4 के अभिसाक्ष्य से यह मान भी लिया जावे कि आरोपी द्वारा कोई जानकारी दी गई थी तो प्र0पी0—3 का जप्ती पत्र जो प्रकरण में अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है क्योंकि उसके अनुसार मोटरसाईकिल की नंबर प्लेट आरोपी लादेन उर्फ रणधीर से जप्त करना बताई गई है जिसके पंच साक्षियों में से केवल बृजेशिसंह अ0सा0—7 को परीक्षित कराया गया है जिसने उसका कोई समर्थन नहीं किया है। अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है।

- 🔬 अभिलेखं पर जप्तश्रदा नंबर प्लेट की फरियादी निर्झरसिंह से कोई पहचान की कार्यवाही विवेचक द्वारा नहीं कराई गई है। जो स्पष्ट करता कि जो नंबर प्लेट जप्त की गई वह वास्तव में उसकी मोटरसाईकिल की ही नंबर प्लेट ंथी पा नहीं। अभिलेख पर ऐसी कोई भी साक्ष्य नहीं है जो यह प्रमाणित कर सके कि प्र0पी0-3 के द्वारा जप्त की गई नंबर प्लेट बतायी गई घटना में लूटी गई मोटरसाईकिल की ही थी। क्योंकि जिस प्रकार की नंबर प्लेट बताई गड़ है वह आसानी से तैयार की जा सकती है जैसा कि बचाव पक्ष का तर्क है। क्योंकि कथानक में फरियादी निर्झरसिंह द्वारा जो एफआईआर दर्ज कराई गई उसमें भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि मोटरसाईकिल की नंबर प्लेट किस तरह की लगी थी। ऐसे में नंबर प्लेट की पहचान आवश्यक थी जो नहीं की गई और लूटी गई मोटरसाईकिल की बरामदगी के संबंध में विवेचक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। ऐसे में उक्त साक्ष्य आरोपी लादेन उर्फ रणधीर के विरूद्ध ग्राह्य नहीं की जा सकती है। विवेचक अ०सा०-८ के द्वारा जिस प्रकार से बंटी कटारे का नाम अनुसंधान के दौरान आने के बावजूद उसको तलाश करते हुए अपेक्षित विवेचना करने का कोई प्रयास न किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि इस तरह की विवेचना की गई तो अभियोजन किसी भी मामले में कभी भी सफल नहीं हो सकता है तथा विवेचक का जो कियाकलाप उक्त मामले के अनुसंधान में रहा है, उससे निश्चित तौर से यह कहा जा सकता है कि विवेचक के द्वारा लचर विवेचना की गई है जो कि कतई विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है और भर्त्सना योग्य है।
- 17. प्रकरण में आरोपी अंग्रेजिसंह के फोत हो जाने से उसके बारे में विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है किन्तु प्रकरण में साक्ष्य के दौरान अन्य दस्तावेज जिनमें प्र0पी0-7 का धारा-27 साक्ष्य विधान के आरोपी अंग्रेज का मेमोरेण्डम कथन था और प्र0पी0-8 का भूरे उर्फ वीरेन्द्र का मेमोरेण्डम कथन था जिनमें यह तथ्य आये थे कि मोटरसाईकिल की नंबर प्लेट तो लादेन के घर पर रखी गई है और मोटरसाईकिल को दो चार दिन चलाकर बंटी कटारे निवासी सीताराम की लावन को तीन हजार रूपये में बेच दी है किन्तु उक्त तथ्य के प्रकट होने के बावजूद घटना के विवेचक ने जिस व्यक्ति को मोटरसाईकिल बेचना बताई गई उसे

तलाशने या पकड़ने का कोई प्रयास नहीं किया न ही मोटरसाईकिल बरामदगी का कोई प्रयास किया जाना विवेचक आशीष पंवार अ०सा०–८ के अभिसाक्ष्य से दर्शित होता है और उसका कोई कारण भी उसके द्वारा नहीं बताया गया है। ऐसे में विवेचक के द्वारा जो कार्यवाही की गई वह महज खानापूर्ति ही नजर आती है। क्योंकि नंबर प्ले और जो डण्डा जप्त किया गया वह आसानी से कहीं भी उपलब्ध हो सकते हैं जिनकी कोई विशेष पहचान न होने से उसके आधार पर अभियोजन की घटना को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है और प्र0पी0–7 लगायत ९ के पंच साक्षी केशवसिंह अ०सा०–५ व जगदीश सिंह अ०सा०–६ ने पक्ष विरोधी होते हुए अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है। तथा एफआईआर मुताबिक घटना में डण्डे का कोई प्रयोग किया जाना नहीं बताया गया है। क्योंकि एफआईआर में जब फरियादी के सिर पर पहला वार किया गया था तो वह किसी भारी चीज से मारना वह कहता है जिससे हैल्मेट चकनाचूर हो गया था और सिर में चोट लगी थी। इसमें लाठी का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसे में लाठी जप्त करने का कोई औचित्य नहीं था। जिससे ऐसा आभाष होता है कि घटना के विवेचना गलत दिशा में जाकर की गई। अन्यथा जिस व्यक्ति बंटी कटारे को मोटरसाईकिल बेचना बताया गया है जिसका पता भी बताया गया, उसे तलाश किया जाता। लेकिन अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे आरोपी बंटी कटारे को तलाशने और मोटरसाईकिल बरामद कराने का कोई प्रयास किया गया हो।

- 18. प्रकरण में यह भी हास्यास्पद है कि एफआईआर मुताबिक फरियादी को ऐसी भारी चीज से मारा गया जिससे उसका पहना हुआ हैल्मेट चकनाचूर हो गया और घूंसों से भी मारा गया लेकिन उसका कोई मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया। जबिक बिना विलंब के एफआईआर दर्ज हुई थी तब ऐसे में उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया जाना आवश्यक था। ऐसे में साक्षी आशीष पंवार अ०सा0-8 जो कि अपने अभिसाक्ष्य में प्र०पी0-4 की एफआईआर लेखबद्ध करना, घटनास्थल पर जाकर नक्शामौका प्र०पी0-5 तैयार करना कहता है। आरोपी लादेन उर्फ रणधीर से नंबर प्लेट की जप्ती और प्र०पी0-7 लगायत 9 की कार्यवाही भी करना बताता है। उससे भी दस्तावेज प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।
- 19. न्याय दृष्टांत मुलायम सिंह विरूद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 1990 सी0आर0एल0जे0 पेज—2562 में यह मार्गदर्शित किया गया है कि जब एफआईआर और फरियादी के कथन में विरोधाभाष के आधार पर एक आरोपी को दोषमुक्त किया जाये तो वहाँ उसी साक्ष्य के आधार पर दूसरे सह अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।
- 20. अतः उपरोक्त समग्र साक्ष्य तथ्य परिस्थितियों के आधार आरोपी लादेन उर्फ रणधीर के विरूद्ध भी अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से पर प्रमाणित नहीं होता है। फलतः आरोपी लादेन उर्फ रणधीर को भी संदेह का लाभ दिया जाकर धारा— 394 सहपठित धारा—398 भादवि एवं 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 21. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 22. प्रकरण में जप्तशुदा नंबर प्लेट व डण्डा मूल्यहीन होने से अपील अवधि

उपरान्त नष्ट किये जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

23. निर्णय की एक नकल डी०एम० भिण्ड की ओर भेजी जावे।

दिनांकः **28 सितंबर-2015** 

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश डकैती, गोहद जिला/भिण्ड

(पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश डकैती, गोहद जिला भिण्ड

